अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय बाल अधिकारिता

जी–3/1ए. अम्बेड़कर भवन विस्तार. होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया. जयपुर

क्रमांकः एफ.14.(1) आई.सी.पी.एस./बाल विवाह/नि.बा.अ.वि./14/7189 दिनांकः 25-04-2014

आदेश

विषयः–बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) कियान्वयन के संबंध में।

राज्य में समुचित शिक्षा एवं जनचेतना की कमी के कारण बडी संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होते है। यह पुरानी सामाजिक कुरीति होने के साथ–साथ बच्चों के अधिकारों का एक निर्मम उल्लंघन है। सभी बच्चों को परिपूर्ण देखभाल व सुरक्षा का अधिकार होता है परन्तु बाल विवाह से बेहतर स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है।

कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क, दोनों को बहुत गंभीर और घातक खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती है। बाल विवाह से बालिकाओं के साथ होने वाली यौन एवं घरेलू हिंसा को भी बढावा मिलता है।

भारत सरकार द्वारा देश में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु **"बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006"** लागू किया गया है। इस विशेष अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष के कम उम्र के बालक का विवाह करना या रचाना एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध घोषित किया गया है। साथ ही बाल विवाह को शून्यकरण, इन्हें रोकने, पीड़ित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों को सजा देने तथा संवेदीकरण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय न्यायलयों को बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की शक्तियां भी दी गई है। अधिनियम में बाल विवाह के आयोजन में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, बारातियों, पण्डित, हलवाईयों, टेण्ट वाले, बैंड बाजा इत्यादि को सजा दिये जाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बाल विवाह की रोकथाम हेतु राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 लागू किये गये है, जिनके तहत अधिनियम की धारा 16 (2) के कम में प्रत्येक उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को बाल विवाह निषेध अधिकारियों

(सीएमपीओ) नियुक्त किया गया है। साथ ही अक्षय तृतीया के अलावा 9 अबूझ सावों जिनमें फुरेला दौज, बंसंत पंचमी, बडला नवमी, देवउठनी एकादशी, पीपल पूर्निमा इत्यादि पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु विशेष कार्यवाही करने एवं सम्पूर्ण वर्ष में जिला कलेक्टर कार्यालय पर कन्ट्रोल रूप संचालित करने के निर्देश दिये गये है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के तहत शादी के कार्ड पर भावी वर–वधू की जन्म तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े कानूनों/योजनाओं के प्रभावी क्रियान्यवन सुनिश्चित करने के लिए पृथक से बाल अधिकारिता विभाग गठित किया गया है। राज्य में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम एवं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों एवं पंचायत राज संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रभावी कार्य किया जाना अपेक्षित है, ताकि इस कुरीति को समाप्त किया सके।

बाल विवाह का विषय बाल संरक्षण के दायरे में आता है इसलिए इसकी प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) निर्धारित की जाती है:–

1. **बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ):**– उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार (बाल विवाह निषेध अधिकारी) अपने क्षेत्र में बाल विवाह के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे:–

(क) अगर निकट भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है:

1 दोनो पक्षों के घर जाकर अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय के लोगों को इस बात से अवगत कराए कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है एवं इसे नहीं किया जावें।
2 लड़के/लड़की से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत करायेगा तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत करायेगा।
3 ग्राम पंचायत, स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों/लोक सेवकों, स्थानीय एनजीओ की मदद लेकर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करेगा।
4 पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को गिरफ्तार करायेगा।
5 यदि बच्चे के अभिभावक बाल विवाह की योजना से पीछे नहीं हटते हैं तो अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर निषेधाज्ञा जारी करायेगा।
6 बच्चे के सुरक्षा एवं देखभाल के मामले में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बाल कल्याण समिति की मदद लेगा।
7 ऐसे बच्चों के अभिभावकों से बाल विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भरवाया जायेगा। इसका उल्लंघन होने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल लाई जायेगी।

(ख) जिस समय विवाह संपन्न हो रहा है:

1 इस बात की जानकारी तत्काल संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा, जिससे वह बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकें।
2 संपन्न हो रहे विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठा करेगा।
3 दोषियों की सूची बनाई जायेगी, जिसमें विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसी शादी में शामिल होते हैं।
4 पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को गिरफ्तार करायेगा।
5 यदि बच्चे के साथ जबर्दस्ती की जा रही है या बच्चे के जीवन को खतरा दिखाई देता है तो तत्काल ऐसे बच्चे को सुरक्षा व सहायता प्रदान करने हेतु बच्चे को संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उसकी सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(ग) अगर बाल विवाह हो चुका है:

1 संपन्न विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठा करे।
2 दोषियों की सूची बनाई जायेगी, जिसमें विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसी शादी में शामिल होते हैं।
3 पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों को गिरफ्तार करायेगा।
4 आवश्यकतानुसार पीड़ित बच्चे को 24 घंटों के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश करेंगे।
5 पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज किये जाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
6 पीड़ित बच्चे के बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत विशेष न्यायालय घोषित) के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
7 बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, काउंसलिंग, गुजारा भत्ते, पुर्नवास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
8 अगर बच्चा अपने मां–बाप के साथ ही रहता है तो नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई तथा निरीक्षण (फॉलोअप विजिट) की जायेगी। बच्चे को उसके घर से अलग करना आखिरी विकल्प के रूप में बच्चे के हित में देखा जायेगा।
9 यदि आवश्यक हो तो बच्चे को अनुवर्ती (फॉलोअप) सहायता उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय स्वयं सेवी संस्था की मदद ली जायेगी।
10 पीड़ित बच्चे के विरूद्ध हुए किसी भी दूसरे अपराध की जांच में भी मदद उपलब्ध करायी जायेगी।

बाल विवाह निषेध अधिकारी बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में किये गये कार्यों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला कलक्टर (अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई) को दी जायेगी।

2. महिला एवं बाल विकास विभाग:

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही, संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय एवं आवश्यक निगरानी सुनिश्चित की जायेगी।
2. बाल विवाह रोकथाम में महिला समिति, सी.डी.पी.ओ, प्रचेता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने एवं बाल विवाह की रोकथाम में वातावरण निर्माण हेतु निर्देशित किया जायेगा।
3. जिन बालक/बालिकाओं का बाल विवाह हुआ है उनकी सूची तैयार की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. सबला योजना के लाभान्वित बालिकाओं में बाल विवाह की रोकथाम हेतु किशोरी समूह के माध्यम से माहौल निर्माण किया जायेगा।
5. महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित योजनाओ/कार्यक्रमों मुख्यतः किशोरी शक्ति योजना, शुभलक्ष्मी योजना, जननी शिशु योजना आदि के बारे में व्यापक जन प्रचार प्रसार एवं उन्हें इनसे लाभान्वित किया जायेगा।
6. जिलों में कार्यरत महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों के माध्यम से भी बाल विवाह के शून्यकरण कराने एवं बालिका को काउंसलिंग सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

3. पुलिस विभाग:

1 बाल विवाह होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत की सूचना तत्काल बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को दी जायेगी तथा बाल विवाह की घटना के बारे में सबूत इकट्ठा किये जायेंगे।

2 निकट भविष्य में बाल विवाह होने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी ताकि निषेधाज्ञा जारी की जा सके।

3 बाल विवाह के पीड़ित बच्चों को आवश्यकता पडने पर तत्काल मुक्त कराया जाकर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

4 पीड़ित बालिका से बातचीत हेतु महिला पुलिस अधिकारी/महिला सामाजिक कार्यकर्ता/अध्यापिका/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम इत्यादि की मदद ली जायेगी।

5 स्थानीय पुलिस/बाल कल्याण अधिकारी बाल विवाह के प्रकरणों में बिना देरी के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम, 2000

लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं भारतीय दंड संहिता की प्रांसगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की जायेगी। संबंधित आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जायेगा।

6 विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा बच्चों के विरूद्ध अपराध जिनमें बाल विवाह एवं लड़कियों की खरीद–फरोख्त, तस्करी मुख्य है, की रोकथाम के संबंध में कार्य–योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7 बाल विवाह की रोकथाम में सीएलजी समितियों की भी मदद ली जायेगी।

4. जिला परिषद (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति):

1 बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर पंचायत सदस्य दोनों पक्षों के अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय से बातचीत कर बाल विवाह को रोकने की समझाइश करेंगे।

2 लड़के/लड़की से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत करायेगा तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत करायेगा।

3 अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत नियुक्त बाल विवाह निषेध अधिकारी को बाल विवाहों की रोकथाम करने मदद करेंगे।

4 यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य की ओर से बाल विवाहों को प्रोत्साहन न दिया जाए।

5 गांवों में इस अधिनियम एवं बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठको में नियमित रूप से इस विषय पर चर्चा की जायेगी।

6 जिन बच्चों के बाल विवाह हो चुका है उनकी सूची तैयार कर बाल विवाह निषेध अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि बाल विवाह निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही की जा सके।

7 सभी बच्चों, खासतौर से लड़कियों को स्कूल में दाखिला एवं ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा।

8 उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय करते हुए बाल संरक्षण के मुद्दों मुख्यतः बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बाल उत्पीडन पर जागरूकता एवं रोकथाम संबंधी कार्य किये जायेगे।

5. शिक्षा विभाग (स्थानीय विद्यालय)

अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका को अधिनियम की धारा 16 (2) के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए नियुक्त बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने का जिम्मा सौंपा गया है।

1 जैसे ही विद्यालय प्रशासन को बाल विवाह हो रहा है या बाल विवाह होने वाला है की सूचना मिलती है, तो इसके बारे में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने/बाल विवाह निषेध अधिकारी/चाईल्ड लाईन (1098)/ग्राम पंचायत को सूचित किया जायेगा।

2 विद्यालय में ऐसे बच्चों पर सीधी नजर रखें जो बाल विवाह का शिकार बन सकते हैं। स्कूल में ऐसे बच्चों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित की जायेगी।

3 यदि किसी बच्चे की गैरहाजिरी संदेहास्पद लगती है तो तत्काल उस बच्चे के घर जाकर उससे मिलने एवं गैरहाजिरी के संबंध में पूछताछ की जायेगी।

4 शाला प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ नियमित बैठक लेकर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह नहीं करने संबंधी जानकारी प्रदान करेगा।

5 विद्यालयों में बच्चों को बाल विवाह एवं उनके अधिकारों के बारें में अवगत करावें। प्रत्येक विद्यालय में चाईल्ड लाईन (1098)/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (0141–2709319) के दूरभाष नंबर अंकित किए जावे ताकि बच्चे उन पर अपनी शिकायतें भेज सके।

6. बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जिनमें बाल विवाह के पीडित बच्चे भी सम्मिलित है के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास एवं मामलों के निपटान के लिए अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत प्रत्येक जिलें में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉं प्राप्त बाल कल्याण समितियां कार्यरत है।

1. बाल विवाह होने की सूचना/शिकायत मिलने पर समिति तत्काल प्रसंज्ञान लेते हुए विवाह को रूकवाने हेतु बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)/स्थानीय पुलिस को आदेशित करेगी।
2. बाल विवाह में लिप्त दोषियों के विरूद्व पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित करेगी।
3. बाल विवाह के पीडित बच्चों को मुक्त कराने संबंधी कार्यवाही के दौरान चाईल्ड लाईन सेवा (1098) एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
4. पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज किये जाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
5. पीड़ित नाबालिग बच्चे के बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत विशेष न्यायालय घोषित) के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
6. बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, काउंसलिंग, मुआवजा, गुजारा भत्ता, पुर्नवास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

7. बाल विवाह से जन्मे हुऐ नवजात शिशुओं को यदि बालिका पालने में अक्षम है या अपने भविष्य के कारण शिशु का परित्याग करना चाहती है तो उसे नियमानुसार शिशु को समर्पित करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा।
8. समिति के समक्ष आने वाली बाल विवाह की पीडित बालिकाओं को आवश्यकतानुसार निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
9. समिति ऐसे बालक–बालिकाओ के परिवारजनो को आवश्यक परामर्श उपल्बध करा कर बच्चो के भविष्य के सम्बन्ध मे बेहतर निर्णय लेने मे सहयोग करेगी।

7. जिला बाल सरंक्षण इकाई (बाल अधिकारिता विभाग)

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. इकाई जिला कार्य योजना के कियान्वयन के तहत बाल विवाह के बारें में आवश्यक जन जागरूकता हेतु सतत् अभियान चलायेगी।
3. अभियान संचालन में आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
4. पीडित बच्चों को आवश्यकतानुसार विधिक सहायता, आश्रय एवं संरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
5. बाल विवाह के संभावित/पीडित बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा।
6. जन समुदाय मे राज्य सरकार की विवाह सम्बन्धी योजनाओ के बारे मे भी जागरूकता पैदा की जायेगी ताकि बाल विवाह जैसी परम्पराओ पर रोक लग सके।

8. जिला प्रशासन

1 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं निगरानी सुनिश्चित की जायेगी।
2 जिला एवं प्रत्येक उपखंड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
3 जिला मजिस्ट्रेट सामूहिक विवाह के मामलो में तत्काल निषेधाज्ञा जारी करेगा।
4 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
5 बाल विवाह की रोकथाम हेतु समस्त प्रशासनिक एवं राजकीय संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जायेंगे।
6 बाल विवाह के संबंध में चांईल्ड लाईन (1098) का उपयोग लिया जायेगा। इस हेतु आवश्यक जागरूकता पैदा की जायेगी।
7 बाल विवाह रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना की जायेगी।

8 बाल विवाह मुक्त गावों के निर्माण एवं बाल विवाह की रोकथाम मे सक्रिय भागीदारी निभाने वाली ग्राम पचायतो को प्रोत्साहित कीया जायेगा।

9 विवाहों के पंजीकरण संबंधी कार्यों को बढावा दिया जाकर इनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाये।

10 बाल विवाह की रोकथाम में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

11 बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में किये गये कार्यों की एकजाई तैमासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय, बाल अधिकारिता एवं निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को दी जायेगी।

राज्य में सभी सम्बन्धितों के द्वारा बाल विवाह के संबंध में उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार इसके लिए उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगें। इसे प्राथमिकता से लागू किया जायेगा।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ.14,(1) आई.सी.पी.एस./बाल विवाह/नि.बा.अ.वि./14/7190-7945 दिनांकः 25-04-2014

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि. राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/गृह/महिला एवं बाल विकास विभाग/विधि विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त.....।
8. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट.....।
9. समस्त तहसीलदार.....।
10. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
11. समस्त सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
12. समस्त अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति.....।
13. समस्त अधीक्षक/व्यवस्थापक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/गैर राजकीय बाल गृह.....।
14. समस्त समन्यवक, चाईल्ड लाईन.....।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
बाल अधिकारिता